25.7.24 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत अंतिम निर्णय व डिक्री पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा पत्र संख्या ::– 70/2020

1. अशोक पिता शंकरलाल बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
2. अर्जुन पिता शंकरलाल बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
3. रेखा पिता शंकरलाल बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
4. मांगीबाई पत्नी शंकरलाल बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. श्यामलाल पिता रामचन्द्रदास बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
2. बंशीदास पिता रूपदास बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
3. शान्तीलाल पिता भंवरदास बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
4. ज्यानीबाई पत्नी भंवरदास बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
5. तहसीलदार साहब भमिधारी तहसील कार्यालय बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :– 25.07.2024

निर्णय वाद पत्र अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वाद पत्र अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा नयागॉव प0ह0 चेची की वर्तमान खाता संख्या 116 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा बराबर बराबर में निम्न लिखित आराजीयात अंकित स्थित है।

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
289	0.1290
290	0.1700
291	0.9550
292	0.0500
किता–4	0.4450हैक्टर

यह कि मौजा नयागॉव प0ह0 चेची की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 117 में वादीगण का हिस्सा 1/8 प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का हिस्सा 1/2 निम्नलिखित आराजीयात में अंकित स्थित है:–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
293	0.1380
294	0.4290
295	0.1050
298	0.0730
299	0.3080
किता–5	1.0530 हैक्टर

यह कि वर्णित कृषि आराजीयात की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/8 अंकित स्थित होकर इसी अनुसार मौके पर पृथक रूप से कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने , काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मन मुटाव एवं विवाद होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 22.07.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को तहसील कार्यालय में चलकर वंटवाडा कराने हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद वास्ते बंटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। वाद कारण दिनांक 22.07.2020 से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

कृषि आराजीयात तहसील बेगूँ में स्थित होने से उक्त वाद का सुनने का श्रवणा क्षैत्राधिकार श्रीमान का है। विभाजन के वाद पत्र में भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है:–

1– कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित मौजा नयागांव की आराजीयात किता–4 कुल रकबा 0.4450 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात किता–5 रकबा 1.0530 हैक्टर में वादीगण का हिस्सा 1/8 का जरिये विभाजन मौके पर

अनुसार एवं अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।
2– कि खर्चा मुकदमा एवं वकील महनताना वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावें।
3– अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ हो वादी को प्रदान कराया जावें।

वादीगण का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया , प्रतिवादीगण न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी अर्जुन का प्रस्तुत कर पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 व नक्शाट्रेस प्रदर्श–2 अंकित करा बयान वादी के कलमबद्ध कराये गये। वादीगण के बयान पूर्ण होने के उपरान्त अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया जिन्होंने अपनी बहस अपने वाद पत्र अनुसार करते हुए वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण का हिस्सा पृथक राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को सुना तथा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस जो कि प्रदर्श– 1 व प्रदर्श–2 है का अवलोकन किया, दस्तावेजी सबूत के आधार पर वादीगण अपना हिस्सा पृथक करा पाने के अधिकारी पाये जाते है, वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है, मौजा नयागॉव प0ह0 चेची के खाता संख्या 116 में अंकित आराजी संख्या 289, 290, 291, 292 किता– 4 कुल रकबा 0.4450 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2 शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक का एवं खाता संख्या 117 में अंकित आराजी संख्या 293, 294, 295, 298, 298 किता–5 कुल रकबा 1.0530 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/8 शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक का रखते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को वास्ते फर्द बंटवारा रिपोर्ट की पालना मंगवाये जाने हेतु भिजवाई जाती है।

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार बेगूँ को वर्णित आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक /भू.अ./प्रा.डी./2024/2201 दिनांक 18.06.2024 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसमे वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट सही होने एवं दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तिम डिक्री की घोषणा किया जाने योग्य है।

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा चेंची प0ह0 चेंची की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1– वादी अशोक, अर्जुन, रेखा, पिता शंकरलाल, मांगीबाई पति शंकरलाल हि0ब0 बैरागी सा. बदनपुरा खातेदार रहन बू.चि.क्षे.ग्रा.बैंक शाखा चेंची आ. स.289, 503/292 पर व रहन भू. वि. बैंक शाखा बेगूँ आ.स. 293, 294, 295,पर

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
289 मेसे	0.060	नहरी	0.52
293 मेसे	0.053	नहरी	0.46
294 मेसे	0.060	नहरी	052
295 मेसे	0.020	नहरी	0.17
503/292	0.050	नहरी	0.43
किता–05	0.243		2.10

2– प्रतिवादी श्यामलानल पिता रामचन्द्रदास हिस्सा 1/7 बंशीदास पुत्र रूपदास हिस्सा 2/7 शांतिलाल पुत्र भंवरदास हिस्सा 2/7 ज्यानीबाई पत्नी भंवरदास 2/7 बैरागी सा. बदनपुरा खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ हिस्सा बंशीदास का व हिस्सा श्यामलाल का।

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
293 मेसे	0.085	नहरी	0.74
294 मेसे	0.369	नहरी	3.20
295 मेसे	0.085	नहरी	0.74
298	0.073	बीड	0.18
299	0.308	नहरी	2.67
किता– 05	0.920		7.53

3– प्रतिवादी श्यामलानल पिता रामचन्द्रदास हिस्सा 1/3 वंशीदास पुत्र रूपदास हिस्सा 2/3 वैरागी सा. बदनपुरा खातेदार रहन –हिस्सा श्यामलाल का बू.चि.क्षै.ग्रा.बैंक शाखा चेंची

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
289 मेसे	0.069	नहरी	060
290 मेसे	0.170	नहरी	1.48
501/291	0.0955	नहरी	0.83
किता– 03	0.3345		2.91

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा पत्र संख्या ::— 70/2020

1. अशोक पिता शंकरलाल बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
2. अर्जुन पिता शंकरलाल बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
3. रेखा पिता शंकरलाल बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
4. मांगीबाई पत्नी शंकरलाल बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. श्यामलाल पिता रामचन्द्रदास बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
2. बंशीदास पिता रूपदास बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
3. शान्तीलाल पिता भंवरदास बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
4. ज्यानीबाई पत्नी भंवरदास बैरागी निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
5. तहसीलदार साहब भमिधारी तहसील कार्यालय बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता .... की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 25.07.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:—

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा चेंची प0ह0 चेंची की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1— वादी अशोक, अर्जुन, रेखा, पिता शंकरलाल, मांगीबाई पति शंकरलाल हि0ब0 बैरागी सा. बदनपुरा खातेदार रहन बू.चि.क्षै.ग्रा.बैंक शाखा चेंची आ. स.289, 503/292 पर व रहन भू. वि. बैंक शाखा बेगूँ आ.स. 293, 294, 295,पर

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
289 मेसे	0.060	नहरी	0.52
293 मेसे	0.053	नहरी	0.46
294 मेसे	0.060	नहरी	052
295 मेसे	0.020	नहरी	0.17
503/292	0.050	नहरी	0.43
किता—05	0.243		2.10

2— प्रतिवादी श्यामलानल पिता रामचन्द्रदास हिस्सा 1/7 बंशीदास पुत्र रूपदास हिस्सा 2/7 शांतिलाल पुत्र भंवरदास हिस्सा 2/7 ज्यानीबाई पत्नी भंवरदास 2/7 बैरागी सा. बदनपुरा खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ हिस्सा बंशीदास का व हिस्सा श्याामलाल का।

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
293 मेसे	0.085	नहरी	0.74
294 मेसे	0.369	नहरी	3.20
295 मेसे	0.085	नहरी	0.74
298	0.073	बीड	0.18
299	0.308	नहरी	2.67
किता— 05	0.920		7.53

प्रतिवादी श्यामलानल पिता रामचन्द्रदास हिस्सा 1/3 बंशीदास पुत्र रूपदास हिस्सा 2/3 बैरागी सा. बदनपुरा खातेदार रहन –हिस्सा श्यामलाल का बू.चि.क्षै.ग्रा.बैंक शाखा चेंची

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
289 मेरे	0.069	नहरी	060
290 मेरे	0.170	नहरी	1.48
501/291	0.0955	नहरी	0.83
किता– 03	0.3345		2.91

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।

अंतिम निर्णय आज दिनांक **25.07.2024** को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

कमांक/सरिस्ता/2024/375. दिनांकः–26-7.24

प्रतिलिपि तहसीलदार बेंगूँ को अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ